



प्रेस नोट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक 06.09.2026

जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मो0सा0 चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को मय 02 चोरी की मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना रोजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र/अफीम चरस बिक्री-निर्माण के क्रम में जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.09.26 को वादी द्वारा थाना रोजा पर तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 406/26 धारा 303(2),317(2) BNS बाबात दिनांक 31.08.2026 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था ।

आज दिनांक 06.09.2026 को जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. संदीप पाल पुत्र लटूरी, उम्र करीब 23 वर्ष व 2. सूरज पुत्र उमेश सिंह, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासीगण आईटीआई कॉलोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को मोहल्ला निवाजपुर के पास स्थित खाली पड़े रेलवे ग्राउण्ड स्थित पाकड के पेड के पास

आज मो0सा0 को बेचने के लिए मोहल्ला निवाजपुर के पास स्थित खाली पड़े रेलवे ग्राउण्ड में योजना बना रहे हैं अगर जल्दी की जाये तो मिल सकते हैं । इस सूचना पर थाना रोजा पुलिस व सर्विलांस/SOG संयुक्त टीम द्वारा मो0 निवाजपुर के पास स्थित खाली पड़े रेलवे ग्राउण्ड स्थित पाकड के पेड के पास से समय 12.41 बजे पर 02 अदद मोटर साइकिल नं0 1.UP27BF7295 हीरो स्पलेण्डर 2.UP27N8617 हीरो होण्डा स्पेलेडर प्लस मय 01 अदद मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । बरामद शुदा मोटरसाइकिलों में से 01 मोटर साइकिल रजि0नं0 UP27N8617 हीरो होण्डा स्पेलेडर प्लस थाना रामचन्द्र मिशन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

संदीप पाल पुत्र लटूरी, उम्र करीब 23 वर्ष, नि0 आईटीआई कॉलोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।
सूरज पुत्र उमेश सिंह, उम्र करीब 19 वर्ष, नि0 आईटीआई कॉलोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 406/26 धारा 303(2),317(2) BNS, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

आपराधिक इतिहास

संदीप पाल

- मु0अ0सं0 406/26 धारा 303(2),317(2) BNS, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।
- मु0अ0सं0 15/2024 धारा 323/504/506 भादवि व 3(2)(VA) एससी/एसटी एक्ट, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।
- मु0अ0सं0 06/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।
- मु0अ0सं0 159/26 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर ।

सूच

- 1.मु0अ0सं0 406/26 धारा 303(2),317(2) BNS, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।
- 2.मु0अ0सं0 14/2024 धारा 398/401 भादवि व 3/4/25 आयुध अधिनियम, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।
- 3.मु0अ0सं0 159/26 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 06.09.2026 को समय 12.41 बजे, मो0 निवाजपुर के पास स्थित खाली पड़े रेलवे ग्राउण्ड स्थित पाकड के पेड के पास से ।

बरामदगी का विवरण

- 1.मोटर साईकिल **UP27BF7295** हीरो स्पलेण्डर
- 2.मोटर साईकिल **UP27N8617** हीरो होण्डा स्पेलेडर प्लस
- 3.01 अदद मोबाइल फोन पोको

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र थाना रोजा
2. उ0नि0 श्री मोहन देव शर्मा प्रभारी SOG/सर्विलांस मय टीम
3. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना रोजा
4. का0 विशाल अष्टवाल थाना रोजा
5. का0 कार्तिक वालियान थाना रोजा